

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 17 फरवरी, 2020

**विषय—राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1183/अड्तीस-5-2016- 27सम/ 2012 दिनांक 20 जुलाई, 2016, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये थे। सम्प्रति नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के गठनोपरान्त विभाग के अन्तर्गत राज्य ग्रामीण पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना राज्य वित्त पोषित योजना है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों में वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत कतिपय संशोधन किये गये हैं।

2- अतः योजनान्तर्गत पूर्व निर्गत इस संबंध में शासनादेश संख्या-1183/अड्तीस-5-2016-27सम/2012 दिनांक 20 जुलाई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों को निरस्त कर राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के मार्ग-दर्शी सिद्धान्त (यथा संशोधित) 2020 संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु राज्य सेक्टर से संचालित की जाने वाली राज्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

( अनुराग श्रीवास्तव )  
प्रमुख सचिव।



शासनादेश संख्या- 10/2020/395/छिहत्तर-1-2020-1 योजना/2016  
दिनांक 17 फरवरी, 2020 का संलग्नक

क्र० सं०	नाम	राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के मार्ग-दर्शी सिद्धान्त (यथा संशोधित) 2020
1	उद्देश्य	<p>प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराया जाना। विशेष रूप से ए०ई०/ जे०ई०एस०/ गुणता प्रभावित चिन्हित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराया जाना है। उक्त के अतिरिक्त फ्लोराइड तथा आर्सेनिक से प्रभावित जल स्रोतों को भी दरीयता में सम्मिलित किया जायेगा।</p>
2	वित्तीय व्यवस्था	<p>योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था के अधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वित्त पोषण राज्य सेक्टर के अन्तर्गत किया जायेगा।</p> <p>योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित होने वाली ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का चयन यथा सम्भव बजट प्राविधान कराने के पूर्व कर लिया जायेगा, ताकि आगामी बजट में विवरण सहित समुचित व्यवस्था करायी जा सके।</p> <p>अपरिहार्य परिस्थितियों में एकमुश्त बजट प्राविधान होने की दशा में बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के आलोक में योजनाओं का चयन समयबद्ध ढंग से इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जा सके।</p>
3	योजना आच्छादन	<p>का</p> <p>योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मर्दा के लिए पूँजीगत/ राजस्व कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध हो सकेगी :-</p> <p><b>(पूँजीगत कार्य)</b></p> <p>1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को 'जल जीवन मिशन' पूर्व नाम 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' के अन्तर्गत निर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना।</p> <p>विशेष रूप से ए०ई०/ जे०ई०एस०/ गुणता प्रभावित चिन्हित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना। दिशा-निर्देशों में उल्लिखित मानकों के अनुसार पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना।</p>

372




	<p>अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त/ नियोजन / सिंचाई/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / पंचायती राज/ कृषि/वन/ग्राम्य विकास विभाग, आयुक्त ग्राम्य विकास, प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम, स्टेट टेक्निकल एजेन्सी, यूनीसोफ के प्रतिनिधि, योजना से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी सदस्य के रूप में तथा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सदस्य सचिव के रूप में होंगे।</p>
3.	<p>योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं तत्समय प्रवृत्त अद्यतन शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।</p>
4.	<p>योजनान्तर्गत कार्यों को सम्पादित करने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी, ताकि जनमानस की अपेक्षानुसार कार्य सम्पन्न हो सके।</p>
5.	<p>राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के समस्त कार्य इसी योजना के अन्तर्गत पूर्ण किये जायेंगे। पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम से वित्त पोषित कोई भी कार्य/ परियोजना राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित नहीं किया जायेगा।</p>
6.	<p>योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन सम्बन्धित प्रस्तावों (पूँजी मद तथा राजस्व मद) का परीक्षण कर अन्य स्रोतों/ कार्यक्रमों में उपलब्ध धनराशि से न प्रस्तावित किये जाने की पुष्टि करायी जायेगी तथा पूँजी मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में निम्न सूचना का समावेश कर प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को सम्बन्धित किये जायेंगे :-</p>
	<p>(1) प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है और यदि स्वीकृत है तो अन्य स्रोतों से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है।</p>
	<p>(2) कार्य के सम्बन्ध में संस्तुति।</p>
	<p>(3) आगणन के मूल्यांकन की स्थिति।</p>
	<p>(4) परिसम्पत्ति के मूल्यांकन सृजन के उपरान्त रख-</p>

		<p>रखाव की वचनबद्धता।</p> <p>(5) संचालन व्यय को वहन किये जाने की पुष्टि।</p> <p>(6) योजना के कार्य का मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित होना।</p> <p>(7) परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ ही कार्यदायी संस्था से उनके हस्तांतरण कराये जाने की वचनबद्धता।</p>
6	आगणनों की तकनीकी स्वीकृति	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व आगणनों/ अनुमानों पर यथाविधि सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7	स्वीकृत धनराशि को रखे जाने एवं कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार की गयी समय-सारणी एवं आवश्यकतानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण कर कार्यदायी संस्था को व्यय हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
8	कार्यों का आगणन	योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के आगणन, अधिकृत कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त, गठित कराये जायेंगे, ताकि गठित आगणनों के पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े। तदर्थ रूप से गठित आगणनों को योजना के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9	आगणनों के मानक	योजनान्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के आगणन के मानक सामान्यतया 'जल जीवन मिशन' के मानकों के अनुसार होंगे। यदि कोई योजना इसके अन्तर्गत आच्छादित नहीं होती है तो इस पर तकनीकी परीक्षण के उपरान्त प्राप्त संस्तुति/ आख्या पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।
10	कार्यों की प्राथमिकता	योजना में लिए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।
11	प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व	इस योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा गुणवत्ता- नियंत्रण का कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा सुनिश्चित कराये जायेंगे।
12	परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण	योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियां नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा निर्गत एवं तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति हेतु कार्यक्रम/ योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण



		जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
19	पारदर्शिता	योजनान्तर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रदर्शित किये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर सूचना प्रबन्धन तकनीक (एम0आई0एस0) का प्रयोग किया जायेगा ताकि योजनान्तर्गत समस्त सूचनाएँ जन सामान्य हेतु उपलब्ध रहें। साथ ही नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का पोर्टल विकसित कर प्रतिमाह प्रगति एवं फोटोग्राफ भी अपलोड किया जायेगा।
20	कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	शासन स्तर पर गठित समिति से परीक्षण एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / वित्त विभाग तथा अन्य सम्बन्धितों को प्रेषित की जायेगी।
21	शिथिलीकरण	योजना के नागदर्शी सिद्धान्तों में किसी प्रकार का संशोधन / शिथिलीकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

  
 (डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)  
 अनु सचिव।